समाचार–प्रकाशनार्थ :–

ए.पी. सिंह व एम.के. जैन की एक–एक वेतन वृद्धि रोकी

रतलाम 31 जनवरी । निगम स्वामित्व की जे.सी.बी. मशीन खराब होकर महिला थाने के पास कई दिनों से खड़ी रहने की जानकारी मिलने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने श्री ए.पी. सिंह व श्री एम.के. जैन की एक–एक वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश दिये।

निगम की जे.सी.बी. मशीन का संचालन कर्मशाला विभाग से किया जाता है व जे.सी.बी. मशीन खराब होने की सूचना देने का दायित्व श्री एम.के. जैन उपयंत्री व श्री ए.पी. सिंह है किन्तु संबंधितों द्वारा इस संबंध में कोई सूचना नहीं देने व कोई सुधार कार्य नहीं करवाये जाने के कृत्य को कर्तव्य के प्रति उदासिनता बरतने पर एक–एक. वेतन वृद्धि रोके जाने का आदेश जारी किया गया।

गंदगी करने पर 16 व्यक्तियों पर जुर्माना

रतलाम 31 जनवरी । नगर में ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो कि अपनी दुकानों एवं घरो से निकलने वाले कचरे को कचरा संग्रहण वाहन में नहीं डालते हुए यहां–वहां डालकर नगर को गंदा करते है ऐसे दुकानदार एवं नागरिकों को लगाम लगाने हेतु निगम द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है साथ ही सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गंदगी फैलाने वाले नागरिक एवं दुकानदारों पर घर व दुकानों पर जाकर गठित दल द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है।

नगर के ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर नगर को गंदा कर रहे है ऐसे व्यक्तियों पर लगाम लगाने हेतु नगर के विभिन्न स्थानों पर स्थापित सीसीटीवी कैमरों से सत्त निगरानी रखी जा रही है इस हेतु पुलिस कन्ट्रोल रूम पर 3 पालियों में कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार महू रोड बस स्टैण्ड पर गंदगी करने पर संत कुमार, अनिल, उज्जवल पर 100–100, संगीता, रिजवान, जाकिर, राजू, बबलू, रमेश, पंकज, हरिओम, दिलीप, संजय, प्रहलाद, अनिल व रमेश पर 50–50 रूपये का स्पॉट फाईन किया गया।

जुर्माने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह, झोन प्रभारी श्री किरण चौहान व श्री पर्वत हाड़े, उप स्वच्छता निरीक्षक श्री विनय चौहान आदि के द्वारा की गई। गंदगी व मलबा फैलाने, अतिक्रमण करने पर संबंधितों के विरूद्ध जुर्माना किये जाने का अभियान निरंतर जारी रहेगा।

शहर से निकलने वाले कचरे का जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर होगा प्रतिदिन वजन

वजन किये जाने हेतु 2 कर्मचारी नियुक्त

रतलाम 31 जनवरी । शहर से प्रतिदिन निकलने वाले कचरे के वजन की गणना हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर 2 कर्मचारियों को नियुक्त किया गया।

निगम आयुक्त श्री झारिया के निर्देशानुसार नियुक्त कर्मचारी कमल–दिनेश टांक व देवेन्द्र मांगीलाल पृथक–पृथक पाली में कचरा संग्रहण वाहन, डम्पर, ट्रेक्टर ट्रॉली से आने वाले कचरे का वाहन सहित वजन करेंगे तथा कचरा खाली करने के बाद खाली वाहन का वजन करेंगे जिससे शहर से प्रतिदिन निकलने वाले कचरे की गणना होगी।

मार्निंग स्टार स्कूल के पास आज लगेगा निगम का बकाया वसूली शिविर
नागरिकों ने 10,43,000/– संपत्तिकर व 2,51,805/– जलकर जमा कराया

रतलाम 31 जनवरी । नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निगम से संबंधीत करों को जमा कराने हेतु वार्ड वार बकाया वसूली शिविर 18 जनवरी से आयोजित किये गये है जो 27 मार्च तक चलेंगे।

आयोजित शिविरों में नागरिक नगर निगम की बकाया संपत्तिकरण, जलकर, दुकान, गुमटी किराया, लायसेंस शुल्क एवं विकास शाखा से संबंधित भवन की किश्त तथा भू–भाटक की बकाया राशि जमा करा सकेगें।

निगम द्वारा आयोजित शिविरों में नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए गांधीनगर शिविर में संपत्तिकर 1,10,000/– व जलकर 6,000/–, मालवा नगर लक्ष्मणपुरा शिविर में संपत्तिकर 1,40,000/– व जलकर 55,775/–, अम्बे माता जवाहर नगर शिविर में संपत्तिकर 2,38,000/– व जलकर 49,010/–, विनोबा नगर शिविर में संपत्तिकर 1,29,000/– व जलकर 43,670/–, अलकापुरी कम्यूनिटी हॉल शिविर में संपत्तिकर 1,22000/– व जलकर 29,280/–, तिरूपति शिविर में संपत्तिकर 77,000/– व जलकर 19,850/–, कोमल नगर शिविर में संपत्तिकर 1,27,000/– व जलकर 48,220/– की राशि जमा कराई। इस तरह नागरिकों ने अब तक आयोजित शिविरों में 10,43,000/– संपत्तिकर व 2,51,805/– जलकर की राशि जमा कराई।

वार्ड वार आयोजित किये गये वसूली शिविरो के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 9 व 10 के लिये 01 फरवरी को मार्निंग स्टार स्कूल, वार्ड क्रमांक 9 व 10 के लिये 2 से 3 फरवरी तक कस्तुरबा नगर सारस्वतजी के मकान के सामने, वार्ड क्रमांक 9 व 10 के लिये 4 फरवरी को प्रियदर्शनी नगर, वार्ड क्रमांक 11 व 12 के लिये 5 से 6 फरवरी तक को डोंगरे नगर, वार्ड क्रमांक 46, 47 व 48 के लिये 8 फरवरी को हाट रोड माताजी का मंदिर, वार्ड क्रमांक 11 व 12 के लिये 09 फरवरी को कलीमी कालोनी, वार्ड क्रमांक 18 के लिये 3 से 10 फरवरी को राजेन्द्र नगर में कार्यालयीन समय में शिविर आयोजित किये गये है।

निगम द्वारा जारी अपील में नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि निगम द्वारा उक्त शिविर बकायादारों की सुविधा के लिए आयोजित किये गये है इन आयोजित शिविरों में बकायादार अपनी बकाया राशि जमा कर निगम को सहयोग प्रदान करें।

दिव्यांगजन युडीआईडी प्रमाण पत्र हेतु दस्तावेज जमा करावें

रतलाम 31 जनवरी । समस्त श्रेणी के दिव्यांगजन यु.डी.आई.डी. प्रमाण–पत्र बनवाने हेतु नगर निगम विकास शाखा स्थित पेंशन शाखा में आवश्यक दस्तावेज पासपोर्ट साईज फोटो, राशन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड, समग्र आई.डी., निःशक्त प्रमाण–पत्र, मोबाईल नम्बर तत्काल कार्यालयीन समय में जमा करावें ।

गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण की दी समझाईश
स्वच्छता के लिये नगारिक दे रहे हैं फीडबैक

रतलाम 31 जनवरी । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा दिये गये निर्देशानुसार नगर के समस्त घरों, दुकानों आदि से 100 प्रतिशत गीला एवं सूखा कचरा पृथक–पृथक संग्रहित किये जाने हेतु नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम आस्था के सदस्यों द्वारा नगर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को स्वच्छता बनाये रखने गीला व सूखा कचरा पृथक–पृथक रखने की समझाईश दी जा रही है।

नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम डिवाईन के सदस्यों द्वारा नगर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण हेतु घरों एवं दुकानों में पृथक–पृथक कचरा पात्र रखकर पृथक–पृथक कचरा एकत्रिकरण व गीले एवं सूखे कचरे को

निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक–पृथक भागों में डालने की समझाईश दी साथ ही नागरिकों से स्वच्छता हेतु स्वच्छता एप पर सिटीजन फीडबैक लिया।

सफाई संबंधी शिकायत दर्ज कराने हेतु नागरिक स्वच्छता एप का उपयोग करें

रतलाम 31 जनवरी । रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने हेतु कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड, निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वच्छ भारत मिशन के तहत सफाई संबंधी शिकायत दर्ज कराने के लिये भारत सरकार द्वारा तैयार किये गये स्वच्छता एप की जानकारी निगमकर्मियों व नगर निगम की सहयोगी संस्था आस्था के सदस्यों ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में नागरिकों को दी।

स्वच्छ भारत मिशन के तहत किये जा रहे स्वच्छता सर्वेक्षण–2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने के लिये रतलाम नगर के नागरिक सफाई संबंधी शिकायत स्वच्छता एप दर्ज कराने के लिये अपने एन्ड्रोयड मोबाईल पर गूगल प्ले स्टोर में जाकर स्वच्छता एप टाईप करें, उसके पश्चात एप को इन्सटाल करें। इन्सटाल करने के बाद एप्लीकेशन ओपन करके अपना मोबाईल नम्बर रजिस्टर्ड करें। इसके बाद अपना जीपीएस ऑन करें इसके बाद आपकी सफाई संबंधी शिकायत का फोटो लेकर अपलोड करें। अपलोड की गई शिकायत नगर निगम के पास आयेगी ओर उसका तत्काल निराकरण किया जायेगा।

कचरा पृथक्कीकरण हेतु नागरिक एवं दुकानदरों को रखना होंगे 4 डस्टबीन

खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालो पर सीसीटीवी से रखी जा रही है निगरानी

अतिक्रमण व गंदगी करने पर होगा जुर्माना

रतलाम 31 जनवरी । नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार एवं नागरिक जो कि अपनी दुकानों एवं घरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत कचरा पृथक्कीकरण हेतु 4 डस्टबीन नहीं रख रहे है व दुकानों के सामने गंदगी व अतिक्रमण कर रहे उन पर निगम के स्वास्थ्य अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।

नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार अपनी दुकानों में गीले कचरे अर्थात कीचन में बनी हुई खाद्य सामग्री, फल–सब्जी के छिलके, घांस व पेड़ की पत्तियां, राख, चाय पत्ती, बचा हुआ खाना आदि के लिये हरा डस्टबीन, सूखा कचरा अर्थात पुस्टा, अखबार, लोहा, कपड़ा, शाल, कांच, पैकिंग मटेरियल, टुटे खिलौने, प्लास्टिक आदि के लिये नीला डस्टबीन, घरेलू हानिकार कचरे के लिये पेन्ट के डिब्बे, पेस्टीसाइड के डिब्बे, सीएफएल, ट्यूबलाईट, थर्मामीटर, बैटरी आदि के लिये काला डस्टबीन तथा मेडिकल वेस्ट अर्थात् सेनेटरी नेपकीन, डायपर, सुई, सिंरिज, मास्क, ग्लब्स, पीपीई कीट आदि के लिये पीला डस्टबीन रखकर अपने घरों एवं दुकानों तथा प्रतिश्ठानों में ही कचरे का पृथक्कीकरण कर निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक–पृथक भागों में डालकर कचरा पृथक्कीकरण कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें। जो नागरिक या दुकानदार उक्तानुसार कचरे का पृथक्कीकरण नहीं करेगा व खुले में कचरा डालने वालो उन पर जुर्माने की कार्यवाही की जावेगी।

नागरिक एवं दुकानदार खुले में कचरा डालेंगे तो उन पर भी नगर निगम अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जायेगी। नगर के विभिन्न स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालों पर कन्ट्रोल रूम पर निगरानी रखी जा रही है। नगर निगम की टीम संबंधित के घर एवं दुकानों पर जाकर 5000–5000 हजार का जुर्माना करेगी।

समाचार / ज.सं.वि. / हेमन्त / 31.01.2021 / न.पा.निगम, रतलाम.